

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26  
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
 राकेश बवेजा बनाम जटू राम व अन्य  
 विविध प्रार्थना संख्या 2024/060  
 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मूलवाद 2024/082

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
16.12.2024	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। वकील प्रार्थी के निवेदन एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एक पक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि प्रशनगत आराजी चक 5 सी बडी, पटवार हल्का सुजावलपुर, भू0अ0नि0 क्षेत्र हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 45/41, मु0 नं0 44 की कुल 1.140 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/7 हिस्सा की मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाए रखें। उक्त निषेधाज्ञा अन्य किसी प्रकार के वाद सीमाज्ञान, रास्ता, खाला, अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 16.01.2025 को आकर पेश करें। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 16 जनवरी, 2025 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं                      कार्यापालक दण्डनायक                      (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर</p> <p>16/01/25 को प्रार्थी, जटू राम                      वकील प्रार्थी के निवेदन एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एक पक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि प्रशनगत आराजी चक 5 सी बडी, पटवार हल्का सुजावलपुर, भू0अ0नि0 क्षेत्र हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 45/41, मु0 नं0 44 की कुल 1.140 हैक्टे0 नहरी मय खाला कृषि भूमि में से 1/7 हिस्सा की मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाए रखें। उक्त निषेधाज्ञा अन्य किसी प्रकार के वाद सीमाज्ञान, रास्ता, खाला, अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। आगामी तारीख पेशी तक तलबी न होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण को अगर इसमें कोई आपत्ति हो तो जरिये असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर तारीख पेशी दिनांक 16.01.2025 को आकर पेश करें। अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 16 जनवरी, 2025 को पेश हो।</p>	



21/02/25 अखिल भारतीय अर्थशास्त्र  
कार्यक्रम की जाती है। इस कार्यक्रम का  
नाम 'अर्थशास्त्र', शामिल करने के लिए  
आवश्यक है। दिनांक 26/03/25  
को, जहाँ, जहाँ

26/3/25 आज पंजाब आधिकारिक...  
पर है, पत्रावली पूर्वानुसार  
दिनांक 19/5/25 को पेश हो

28/05/25 शायद जहाँ अखिल भारतीय  
कार्यक्रम का प्रस्ताव करने पर पत्रावली  
आज पेश की गई। मुझे शायद के  
निर्देश पर मुद्रा, खारिज किया जा  
सकता है। अतः कि. प्र. का 212 एन. के  
कोई अर्थ नहीं रहे जाते। अतः कि. प्र. का  
212 एन. के 2024/060 आगामी रजिस्ट्रार  
का जहाँ जहाँ न अर्थ वरिष्ठ हल पर खारिज  
किया जाता है पत्रावली में अर्थ को  
कार्यक्रम अर्थशास्त्र के पत्रावली वायदा  
के अर्थ को अर्थ निर्दिष्ट की शायद के शामिल है